

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 75]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 7 फरवरी 2022—माघ 18, शक 1943

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2022

अधि.क्र. 06 एफ 1-06-2021-अठारह-3 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी में वर्णित ग्राम पंचायत के ग्रामों को मिलाकर नगर परिषद बरगवां का गठन करती हैं, अर्थात् :-

अनुसूची-एक

बरगवां नगर परिषद की परिसीमाओं में सम्मिलित किया गया क्षेत्र

स.क्र.	जिले का नाम	तहसील का नाम	नगर परिषद का नाम	नगरीय क्षेत्र के गठन हेतु सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	सिंगरौली	देवसर	बरगवां	बरगवां	1. बरगवां	215.020
2				डगा	1. डगा	693.300
3				कनई	1. कनई	511.720
4				बरैनिया	1. बरैनिया 2. धौंडर	1144.940
5				बरहवा टोला	1. बरहवा टोला	545.040
		कुल -		05	6	3110.020

अनुसूची-दो

अनुसूची एक में दर्शाये गये क्षेत्र को सम्मिलित करने के पश्चात, बरगवां नगर परिषद की पुनरीक्षित सीमाएं निम्नानुसार होंगी:-

उत्तर दिशा :- तहसील देवसर के क्षेत्र गिधेर, ओड़गड़ी की सीमाओं से मर्यादित।

पूर्व दिशा :- ग्राम बड़ोखर, भलुगढ़ की सीमाओं से मर्यादित।

दक्षिण दिशा :- ग्राम मनहारी, सिंगरौली तहसील की सीमाओं से मर्यादित।

पश्चिम दिशा:- ग्राम खेखड़ा, जोबगढ़ की सीमाओं से मर्यादित।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

तरुण राठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2022

क्र. एफ 1-06-2021-अठारह-3 :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड-3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 06 एफ 1-06-2021-अठारह-3, भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

तरुण राठी, उपसचिव.

Bhopal, the 7th February 2022

Noti.No. 06 F-1-06-2021-XVIII-3.- In exercise of the powers conferred by Section 5(1)(b) of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) hereby pleased to include the areas of Village Panchayat mentioned in the below Table is notified as Municipal Council Bargawan Namely :-

SCHEDULE- I

Area included in the boundaries of Bargawan Municipal Council:

No.	Distt.	Tehsil Name	Name of the Nagar Parishad	Name of Gram Panchayat included for the formation of urban area	Included villages	Area (in Hec.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Singrauli	Devsar	Bargawan	Bargawan	1. Bargawan	215.020
2				Daga	1. Daga	693.300
3				Kanai	1. Kanai	511.720
4				Barainiya	1. Barainiya 2. Dhoudar	1144.940
5				Barahwa Tola	1. Barahwa Tola	545.040
Total				05	06	3110.020

SCHEDULE –II

After including the area shown in Schedule-I, The revised Limits of Bargawan Municipal Council Will be as follows:-

- North direction** – The area of Tehsil Devsar is limited by the boundaries of Gidher, Ogdadi.
- East direction** – Limited from the boundaries of Badokhar, Bhalugadh.
- South direction** - The limits of village Manhari Singrauli Teshil are limited.
- West direction** – Limited to the limits of the boundaries of Khekhda, Jobgadh.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
TARUN RATHI , Dy. Secy.